रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-15092023-248767 SG-DL-E-15092023-248767

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283] दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2023/भाद्र 23, 1945 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 222 No. 283] DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2023/BHADRA 23, 1945 [N. C. T. D. No. 222

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

अर्थ. एवं सांख्यिकी निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 13 सितम्बर, 2023

फा. सं. 1/18/2018/अ.स.नि./स्था./2726.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डीओपीटी ओ.एम. नंबर AB-14017/10/2014-Estt (RR) (3104937) दिनांक 04.07.2014 के अनुसार तथा अर्थ. एवं सांख्यिकी निदेशालय में ग्रुप-सी के पद के लिए समय-समय पर जारी किए गए पिछले सभी भर्ती नियमों के अधिक्रमन में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के उपराज्यपाल द्वारा अर्थ. एवं सांख्यिकी निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्टाफ कार चालक (ग्रेड-I) के पद की भर्ती पद्धित को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातें हैं. अर्थात :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:-

- (i) इन नियमों को अर्थ. और सांख्यिकी निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, स्टाफ कार चालक (ग्रेड-I) भर्ती नियमावली 2023 कहा जाएगा।
- (ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगें।

5889 DG/2023 (1)

- 2. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 स्टाफ कार चालक (ग्रेड-I) में यथाविनिर्दिष्ट होंगें।
- 3. भर्ती पद्धित, आयु- सीमा, योग्यतायें इत्यादि:- उक्त पद की भर्ती पद्धित, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे सम्बन्धित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 स्टाफ कार चालक (ग्रेड-I) में यथाविनिर्दिष्ट होंगें।
- 4. अयोग्यता:- ऐसा कोई भी व्यक्ति,
 - (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति / पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या
- (ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या अनुबंध कर चुका है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतगर्त अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है / हैं किसी उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दी जा सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के सम्बन्ध में इन नियमों के उपबंधो में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगें।
- **6. बचाव**:- इन नियमों कि किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय- समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किए जाने के लिए आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

	• · · ·			
1.	पद नाम	स्टाफ कार चालक (ग्रेड-I)		
2.	पदों की संख्या	02* (2023)		
		* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है		
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह-'सी', अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी		
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	पे मैट्रिक्स लेवल- 5 (29200-92300/- रुपये) में स्तर		
5.	चयन पद है या गैर चयन पद	गैर चयन		
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं		
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और	लागू नहीं		
	अन्य योग्यताएं।			
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	लागू नहीं		
	शैक्षिक योग्यता पदोन्नतियों के मामले में			
	लागू होगी।			
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं		
10.	भर्ती की विधि; सीधी भर्ती द्वारा या	पदोन्नति द्वारा (100%)		
	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समावेश			
	द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने			
	वाली रिक्तियों का प्रतिशत।			
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेश द्वारा भर्ती	The state of the s		
	के मामले में, ग्रेड जिनसे	81100/- रुपये) में 05 साल की नियमित सेवा या स्टाफ कार ड्राइवर		
	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/	(ग्रेड-II) और स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड) में 13 साल की		
	समावेश किया जाना चाहिए।	संयुक्त सेवा एवं जीएनसीटीडी द्वारा निर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट पास किया हो।		
		नोट: जहां कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है,		
		पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी		
		विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी		

		अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हों, जो भी	
		कम हो, और अपने कनिष्ठों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा	
		पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए	
		परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।	
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना	समूह-'सी' विभागीय पदोन्नति समिति स्थायीकरण पर विचार करने	
		हेतु:	
		• प्रधान सचिव / सचिव (श्रम) – अध्यक्ष	
		• विभाग प्रमुख (डीईएस) - सदस्य	
		• उप सचिव (सेवाएं) - सदस्य	
		नोट: विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य स्थायीकरण	
		पर विचार करने के लिये विभागीय पदोन्नति समिति का अधिसूचित	
		अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी अन्य सदस्य से कनिष्ठ	
		होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।	
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती को लागू करने में	लागू नहीं	
	यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए		

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर.

शान-ए-आलम, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) / कार्यालय प्रमुख

DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS NOTIFICATION

Delhi, the 13th September, 2023

F. No. 1/18/2018/DES/Estt/2726.—In exercise of the powers conferred by provision to Article 309 of the Constitution of India and in accordance with DoPT O.M. No. AB-14017/10/2014-Estt (RR)(3104937) dated 04.07.2014 and in supersession of all previous recruitment rules issued time to time for the post of Group-'C', in the Directorate of Economics & Statistics, Government of National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of 'Staff Car Driver (Grade-I)' in Directorate of Economics & Statistics, Government of National Capital Territory of Delhi as following namely:-

1. Short title and Commencement:-

- (i) These rules may be called the Directorate of Economics & Statistics, Government of National Capital Territory of Delhi, 'Staff Car Driver (Grade-I), Recruitment Rules 2023.
- (ii) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of Posts, its classification and Pay Level in the Pay matrix: The number of said posts, its classification and Pay matrix attached shall be as specified in columns 2 to 4 'Staff Car Driver (Grade-I) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of Recruitment, Age Limit, Qualification etc.:-** The method of recruitment, age limit qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in columns 5 to 13 'Staff Car Driver (Grade-I) of the said Schedule.
- 4. Disqualifications:- No Person,-
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds of doing so, exempt any person from the operation of this regulation.

- **5. Power to relax:** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by, order, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving:**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	Name of the Post	Staff Car Driver (Grade-I)
2	Number of Post	02* (2023)
_	rumber of rost	*subject to variation dependent on workload
3	Classification	General Central Service Group-'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial
4	Level in the Pay Matrix	Level-5 (Rs.29200-92300/-) of the Pay Matrix
5	Whether Selection or non selection	Non-Selection
	post.	
6	Age limit for Direct Recruits	Not Applicable
7	Educational & other qualification	Not Applicable
	required for Direct Recruitment.	
8	Whether age & educational	Not Applicable
	qualification prescribed for direct	
	recruits will apply in the case of	
	Promotees.	
9	Period of Probation, if any	Not Applicable
10	Method of Recruitment whether by	By Promotion (100%)
	Direct Recruitment or by Promotion	
	or by Deputation/Absorption & %	
	of the posts to be filled by various methods	
11	In case of Recruitment by	Promotion: Staff Car Driver (Grade-II) in the Pay Level-4 (Rs.25500-
11	Promotion/Deputation/Absorption,	81100/-) of the Pay Matrix with 05 years of regular service in the Grade
	grades from which	or a combined service of 13 years in Staff Car Driver (Grade-II) and Staff
	Promotion/Deputation/ Absorption	Car Driver (Ordinary Grade) and have passed the trade test, specified by
	to be made.	the Government, GNCTD.
		Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility
		service are being considered for promotion, their seniors would also be
		considered provided they are not short of the requisite qualifying/
		eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service
		or two years, whichever is less, and have successfully completed
		probation period for promotion to the next higher grade along with their
		juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
12	If a DPC exists, what is its	Group-'C' Departmental Promotion Committee for considering
	composition	promotion:
		1. Principal Secretary/Secretary (Labour) - Chairperson
		2. Head of the Department (DES) - Member
		3. Deputy Secretary (Services) - Member
		Note:- Senior most member of the Departmental Promotion Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the
		Departmental Promotion Committee happens to be junior to another
		member of Departmental Promotion Committee.
13	Circumstances in which UPSC to be	Not applicable
1.5	consulted in making recruitment	Tion applicable
	Tomosited in making recruitment	

By Order and in the Name of the Lt. Governor National Capital Territory of Delhi,

SHAN-E-ALAM, Jt. Director (Admn.)/HOO